न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 763/2023

अनवान : –

1. रामनाथ पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासी लहरी तहसील व जिला फतेहाबाद।

– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र हरजीराम जाति चमार निवासी लहरी तहसील व जिला फतेहाबाद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 326/322 की कुल 7.5300 हैक्ट भूमि मे से 11129/15070 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरजी दोनो सगे भाई थे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो की माता एक ही है जो की श्रृंगारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुयी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पारिवारिक समझौता व राजीनामा किया हुआ है। जिसके मुताबिक वादी का 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 इसी अनुसार काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा कि वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो ... किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरजी दोनो सगे भाई थे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो की माता एक ही है जो की श्रृंगारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुयी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पारिवारिक समझौता व राजीनामा किया हुआ है। जिसके मुताबिक वादी का 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 326/322 की कुल 7.5300 हैक्ट भूमि मे से 11129/15070 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरजी दोनो सगे भाई थे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो की माता एक ही है जो की श्रृंगारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुयी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पारिवारिक समझौता व राजीनामा किया हुआ है। जिसके मुताबिक वादी का 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई व 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत लहरिया की तस्दीक के अनुसार वादी एवं प्रति[illegible] है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 326/322 की कुल 7.5300 हैक्ट भूमि मे से 11129/15070 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी सख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4.01.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:41 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 763/2023

अनवान : –

1. राम**नाथ** पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासी लहरी तहसील व जिला फतेहाबाद।

– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र हरजीराम जाति चमार निवासी लहरी तहसील व जिला फतेहाबाद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 763 सन 2023 निर्णय दिनांक 4/1/2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 326/322 की कुल 7.5300 हैक्ट भूमि मे से 11129/15070 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मे प्रतिवादी सख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:41 IST
Reason: SelfAttested